आरबीई सं. 120/2019

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 81

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

सं.ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/8 नई दिल्ली, दिनांक 26.07.2019

महाप्रबंधक (का.)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

विषयः पास/सुविधा टिकट आदेश की हकदारी के लिए संशोधित वेतन सीमा।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 की अधिसूचना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप रेल सेवकों की वेतन संरचना में "ग्रेड पे" को हटाकर "पे मैट्रिक्स में पे लेवल" (पीएलपीएम) लागू किया गया है। अतः पास/सुविधा टिकट आदेश की हकदारी का निर्धारण सातवें केंद्रीय वेतन आयोग पर आधारित पीएलपीएम में बदलना विचाराधीन रहा है।

2. सक्षम प्राधिकारी ने रेल सेवक (पास) नियम-1986 (द्वितीय संस्करण-1993) [आर.एस.पी.आर.-1986] के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन का अनुमोदन दे दिया है और अब पास/सुविधा टिकट आदेश की हकदारी का निर्धारण "पद (अर्थात् राजपत्रित/अराजपत्रित) एवं पीएलपीएम" के आधार पर किया जाएगा जैसाकि संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 81 में दिया गया है।

3. आर.एस.पी.आर.-1986 के मौजूदा प्रावधान और समय-समय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक अनुदेश अन्य सभी मामलों में लागू रहेंगे।

4. यदि कोई रेल सेवक जो वर्तमान में प्रथम श्रेणी पास का हकदार है लेकिन संशोधित मानदंड के आधार पर प्रथम श्रेणी पास के लिए अपात्र हो जाता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से प्रथम श्रेणी पास की हकदारी जारी रहेगी।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक स्था. (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

संलग्नः यथोक्त.

सं.ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/8 नई दिल्ली, दिनांक 26.07.2019

प्रतिलिपिः-
भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली.
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली.
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद,13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली.
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली.
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन.
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा सं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन.
12. महासचिव, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन, कमरा सं.-256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
13. महासचिव, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन, कमरा सं.7, रेल भवन, नई दिल्ली.
14. महासचिव, अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे इंप्लाइज फेडरेशन, कमरा सं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 81

I. अनुसूची-I (ड्यूटी पास) की मद सं.1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएः

<table>
<tr><th colspan="3">प्रवर्ग
(1)</th><th>पास की किस्म जिसके लिए हकदार है
(2)</th></tr>
<tr><td colspan="2">पद
(i)</td><td rowspan="3">पीएलपीएम
(ii)</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">I. ड्यूटी पर</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>राजपत्रित संवर्ग</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>(i) अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, बोर्ड के सदस्य जिसमें वित्त आयुक्त शामिल हैं
(ii) महानिदेशक एवं महाप्रबंधक जिन्हें एपेक्स स्केल प्रदान किया गया है
(iii) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त</td><td>17</td><td rowspan="2">स्वर्ण पास</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>महाप्रबंधक एवं अन्य समान स्तर के अधिकारी</td><td>16</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>एच. ए. जी. अधिकारी (एन. एफ - एच. ए. जी. सहित)</td><td>15</td><td rowspan="2">रजत पास</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>एस. ए. जी. अधिकारी (एन. एफ - एस. ए. जी. सहित)</td><td>14</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>सेलेक्शन ग्रेड अधिकारी</td><td>13</td><td rowspan="2">कांस्य पास/प्रथम श्रेणी 'ए' पास (1-एसी प्राधिकार सहित)</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>जे. ए. जी. अधिकारी</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(छ)</td><td rowspan="4">अन्य सभी ग्रुप 'ए' एवं 'बी' राजपत्रित अधिकारी</td><td>11</td><td rowspan="4">कांस्य पास/प्रथम श्रेणी 'ए' पास</td></tr>
<tr><td>10</td></tr>
<tr><td>9</td></tr>
<tr><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="6">(2)</td><td rowspan="6">अराजपत्रित संवर्ग</td><td>6 एवं ऊपर</td><td>प्रथम श्रेणी पास</td></tr>
<tr><td>5</td><td rowspan="4">द्वितीय श्रेणी 'ए' पास</td></tr>
<tr><td>4</td></tr>
<tr><td>3</td></tr>
<tr><td>2</td></tr>
<tr><td>1</td><td>द्वितीय/स्लीपर श्रेणी पास</td></tr>
</table>

टिप्पणीः- (i) पीएलपीएम लेवल 8, 9, 10 एवं 11 में सेवारत अधिकारियों को कांस्य पास/प्रथम श्रेणी 'ए' कार्ड पास मौजूदा शर्तों के अनुसार केवल क्षेत्रीय रेलों अथवा भारतीय रेल पर यात्रा के लिए जारी किए जाएंगे।

(ii) समय-समय पर जारी किए जाने वाले प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार यात्रा हकदारी जारी रहेगी।

(प्राधिकारः रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/8 दिनांक 26.07.2019)

II. समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' रेल सेवकों को दिए जाने वाले किट पासों की हकदारी (आर.एस.पी.आर.-1986 की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 71 द्वारा नियत) को शासित करने वाली अनुसूची-I (स्थानांतरण पर पास) की मद सं. V के अंतर्गत कॉलम सं. (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएः-

प्रवर्ग (1)	
क्र. सं.	पीएलपीएम
(क)	रेल सेवक - पीएलपीएम 12 से 17
(ख)	रेल सेवक - पीएलपीएम 6 से 11
(ग)	रेल सेवक - पीएलपीएम 5
(घ)	रेल सेवक - पीएलपीएम 1 से 4

टिप्पणीः बोर्ड के दिनांक 01.08.2011 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2004/पीएस5-9/1 के द्वारा जारी रेल सेवक (पास) नियम-1986 की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 71 में निर्धारित हकदारी और अन्य नियम एवं शर्तें जारी रहेंगी।

III. अनुसूची-II (सुविधा खातों पर पास) की मद सं. I के अंतर्गत कॉलम सं. (1), (2), (3) एवं (4) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएं:-

प्रवर्ग (1)			अनुज्ञेय सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश की श्रेणी (2)	एक कैलेंडर वर्ष में स्वीकार्य सुविधा पासों और सुविधा टिकट आदेश की संख्या	
	पद (i)	पीएलपीएम (ii)		सुविधा पास (3)	सुविधा टिकट आदेश (4)
(1)	राजपत्रित संवर्ग				
(क)	अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं बोर्ड के सदस्य		प्रथम श्रेणी 'ए'	06 सेट	04 सेट
(ख)	महानिदेशक एवं महाप्रबंधक	17			
(ग)	महाप्रबंधक एवं समान स्तर के अधिकारी	16	प्रथम श्रेणी 'ए'	06 सेट	04 सेट
(घ)	एच. ए. जी. अधिकारी (एन. एफ.-एच. ए. जी. सहित)	15	प्रथम श्रेणी 'ए'	06 सेट	04 सेट
(ङ)	एस. ए. जी. अधिकारी (एन.एफ.-एस. ए. जी. सहित)	14			
(च)	सेलेक्शन ग्रेड अधिकारी	13	प्रथम श्रेणी 'ए'	06 सेट	04 सेट
(छ)	जे.ए.जी. अधिकारी	12			
(ज)	सीनियर स्केल अधिकारी	11			
(झ)	अन्य सभी ग्रुप 'ए' एवं 'बी' के राजपत्रित अधिकारी	10	प्रथम श्रेणी 'ए'	06 सेट	04 सेट
		9			
		8			

प्रवर्ग (1)			अनुज्ञेय सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश की श्रेणी (2)	एक कैलेंडर वर्ष में स्वीकार्य सुविधा पासों और सुविधा टिकट आदेश की संख्या	
पद (i)		पीएलपीएम (ii)		सुविधा पास (3)	सुविधा टिकट आदेश (4)
(2)	अराजपत्रित संवर्ग	6 एवं ऊपर	प्रथम श्रेणी	रेल सेवा के 5 वर्ष तक 01 सेट और उसके बाद 03 सेट	04 सेट
		5	द्वितीय श्रेणी 'ए'		
		4	द्वितीय/स्लीपर श्रेणी		
		3			
		2			
		1			

टिप्पणी: (i) पीएलपीएम के सभी पे लेवलों में कार्यरत रेल सेवक जो 12.03.1987 से पहले रेल सेवा में आए और विधवा पास सुविधा का विकल्प नही दिया, उन्हें 4 सेट के बजाय 6 सेट सुविधा टिकट आदेश की हकदारी जारी रहेगी।

(ii) समय-समय पर ज़ारी किए जाने वाले प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार यात्रा हकदारी जारी रहेगी।

(iii) पीएलपीएम 1, 2, 3 एवं 4 में सेवारत रेल कर्मचारियों को अपग्रेड किए हुए पास की सुविधा अर्थात् द्वितीय/स्लीपर श्रेणी पास के 01 सेट के बदले द्वितीय श्रेणी 'ए' पास का 01 सेट, 05 वर्ष से कम रेल सेवा होने पर भी जारी रहेगी।

IV. अनुसूची-III (स्कूल पास) के अंतर्गत कॉलम सं.(1) और कॉलम सं.(3) की मद सं.(i) (आर.एस.पी.आर.-1986 की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.69 द्वारा नियत) निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएं:-

प्रवर्ग (1)		हकदारी (3)
पद (i)	पीएलपीएम (ii)	
(1) समूह 'ए' एवं 'बी' राजपत्रित अधिकारी	8 से 17	(i) उस श्रेणी का पास जिसका रेल सेवक सुविधा खाते पर हकदार है। बहरहाल, ओक ग्रोव स्कूल, झारीपानी में अध्ययनरत रेल कर्मचारियों के बच्चों, जो साधारणतः प्रथम श्रेणी पास के पात्र नहीं है, जो विशेष तौर पर स्कूल सत्र के आरंभ होने के दौरान उनके घरों से देहरादून तक और स्कूल सत्र के समाप्त होने पर देहरादून से वापस घर आने के लिए प्रथम श्रेणी के पास जारी किए जा सकते है। अधिकृत छुट्टियों के दौरान उनकी आने और जाने की यात्रा के लिए भी उपरोक्त प्रावधान समान रूप से लागू होते हैं। ऐसे मौकों पर मार्गरक्षियों (स्कूल अध्यापकों) को भी अप और डाउन यात्राओं के लिए प्रथम श्रेणी के लिए पास जारी किए जा सकते हैं।
(2) अराजपत्रित संवर्ग	1 से 6 और ऊपर	

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/8 दिनांक 26.07.2019)

V. अनुसूची-III (स्कूल कार्ड पास) के कॉलम (1) एवं (3) (आर.एस.पी.आर.-1986 की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 69 द्वारा नियत) निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएं:-

प्रवर्ग		हकदारी
(1)		(3)
पद (i)	पीएलपीएम (ii)	
(1) समूह 'ए' एवं 'बी' राजपत्रित अधिकारी	8 से 17	पास की श्रेणी रेल सेवक को सुविधा खाते की श्रेणी के समान होगी।
(2) अराजपत्रित संवर्ग	1 से 6 और ऊपर	

VI. अनुसूची-VI (आवासीय कार्ड पास) के कॉलम सं. 1 एवं 3 (आर.एस.पी.आर.-1986 की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.69 द्वारा नियत) निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएं:-

प्रवर्ग		हकदारी
(1)		(3)
पद (i)	पीएलपीएम (ii)	
(1) समूह 'ए' एवं 'बी' राजपत्रित अधिकारी	8 से 17	पास की श्रेणी रेल सेवक को सुविधा खाते की श्रेणी के समान होगी।
(2) अराजपत्रित संवर्ग	1 से 6 और ऊपर	

टिप्पणी: आवासीय कार्ड पास पर परिचर की अनुमति नहीं है।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/8 दिनांक 26.07.2019)